उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) – 2015

–: महत्वपूर्ण निर्देश :–

01. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित "संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2015" हेतु https://www.digialm.com/EForms/html/form2046/index.html पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष–2015 की प्रवेश परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0 200.00 तथा अनारक्षित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु0 300.00 आवेदन शुल्क निर्धारित है। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र भरने का कोई प्राविधान नहीं है। आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट या इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में चालान अथवा नेट बैकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा जमा किया जा सकता है।

02. वर्ष–2015 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में काउन्सिलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा किसी भी पाली की परीक्षा में एक से अधिक आवेदन करने (चाहे उनके ग्रुप भिन्न ही क्यों न हो) की दशा में अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य न होगा।

03. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित "संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2015" में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों से आबद्ध होंगे, जो विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय–समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।

04. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही होगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणोंवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वाँछित प्रमाण–पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि।) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश की सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

05. इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन/गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

06. संस्थाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सम्बन्धित संस्थाओं की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

07. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण, कोड, पाठ्यक्रम ग्रुप, प्रवेश क्षमता **सारिणी–2 (क एवं ख)** में दी गई है। वास्तविक प्रवेश क्षमता तथा संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश /प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार होगा।

08. पाठ्यक्रम एवं सीटों की संख्या शासन के निर्णय के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। राज्य सरकार अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 किसी भी पाठ्यक्रम को बन्द अथवा प्रारम्भ कर सकती है।

09. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2015 के सम्बन्ध में समस्त सूचनायें परिषद की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत की जायेंगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न सूचनाओं/निर्देशों हेतु परिषद की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

प्रवेश वरीयता :

(1) जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उ0प्र0 के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, किन्तु जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों अथवा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो अथवा भारत सरकार द्वारा नामित विदेशी छात्र हो।

वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है, किन्तु जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश के जनपद, जिसमें अभ्यर्थी के माता–पिता मूल/स्थायी निवासरत हैं, के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप **प्रमाण–पत्र संख्या–7** पर प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने के लिए उ0प्र0 के वर्तमान जनपद, जिसमें अभ्यर्थी निवासरत है, के जिलाधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर **प्रमाण पत्र संख्या–6** प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमति होना आवश्यक है। वर्ष–2015 में अर्हकारी परीक्षा में

सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में प्रवेश के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर इसका उल्लेख करें।

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :

निम्न सारिणी–1 में दिये गये पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता का भली–भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित निर्धारित अर्हता रखते हैं :–

सारिणी–1

पाठ्॰ ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्य॰ कोड	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत
A	डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम (सारिणी–2(क))	101 से 132, 159 201 से 232	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम् 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	खण्ड–एक–गणित–50% खण्ड–दो–भौतिक तथा रसायन–50%
B	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	157 व 257	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम् 35% अंक के साथ उत्तीर्ण। (हाईस्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इण्टरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा)	खण्ड–एक–गणित–50% खण्ड–दो–भौतिक विज्ञान तथा रसायन तथा कृषि–50%
C	1. फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी 2. होम साइंस 3. टेक्सटाइल डिजाइन 4.टेक्सटाइल डिजाइन(प्रिंटिंग)	133, 233 134, 234 135, 235 136, 236	तीन वर्षीय दो वर्षीय तीन वर्षीय तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम् 35% अंक के साथ उत्तीर्ण। तदैव तदैव तदैव	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रेहेन्सन–20% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी–50% जनरल अवेयरनेस–30%
D	1. माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	137, 237	दो वर्षीय	इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रेहेन्सन–30% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी –35% न्यूमेरिकल एबिलिटी–10% जनरल अवेयरनेस–25%
	2. लाइब्रेरी एण्ड इनफारमेशन साइंस	138, 238	दो वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण	
E	डिप्लोमा इन फार्मेसी	139	दो वर्षीय	10+2 Examination (Academic Stream) in science न्यूनतम् 50% अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के लिए न्यूनतम् 45% अंक के साथ उत्तीर्ण।	खण्ड–एक–फिजिक्स, केमेस्ट्री–50% खण्ड–दो–बायलोजी या गणित–50%
F	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नॉलोजी (टिशू कल्चर)	140, 240	एक वर्षीय	बी.एस.सी., बायोलोजी, केमेस्ट्री / बायोकेमेस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण।	1. रसायन शास्त्र–50% 2. जन्तु विज्ञान–25% 3. वनस्पति शास्त्र–25%
G	1. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन 2. पी.जी. डिप्लोमा इन मार्कोटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट 3. पी.जी. डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट 4. पी.जी. डिप्लोमा इन ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर 5. पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट 6. पी.जी. डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन	141, 241 142, 242 143, 243 144, 244 145, 245 146, 246	दो वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय	स्नातक उपाधि –तदैव– –तदैव– –तदैव– –तदैव– –तदैव–	अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सन – 20% न्यूमेरिकल एबेलिटी –15% रीजनिंग – 30% जनरल इन्टेलीजेन्सी –20% जनरल अवेरनेस – 15%

G	7. पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन 8. पी.जी. डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी 9.डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन 10. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग 11. पी.जी. डिप्लोमा इन वेब डिजाईनिंग 12. पी.जी. डिप्लोमा इन एकाउण्टेंसी (विद कम्प्यूटराईज्ड एकाउन्ट एण्ड टैक्सेशन) 13. पी.जी. डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेन्ट	147, 247 148, 248 149, 249 150, 250 151, 251 152, 252 153, 253	एक वर्षीय एक वर्षीय दो वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय एक वर्षीय	स्नातक उपाधि –तदैव– –तदैव– –तदैव– –तदैव– –तदैव– –तदैव– –तदैव–	अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सन – 20% न्यूमेरिकल एबेलिटी –15% रीजनिंग – 30% जनरल इन्टेलीजेन्सी –20% जनरल अवेरनेस – 15%
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलोजी	154, 254	तीन वर्षीय	12वीं कक्षा न्यूनतम् 50% अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के लिए न्यूनतम् 45% अंक के साथ उत्तीर्ण।	रीजनिंग एण्ड लाजिकल डिस्कशन – 25% न्यूमेरिकल एबेलिटी एण्ड साइंटिफिक एप्टीच्यूड – 25% अंग्रेजी – 25% सामान्य ज्ञान – 25%
I	1. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग 2. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजी0 (एवियोनिक्स)	155 158	तीन वर्षीय तीन वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50% (एग्रीगेट) अंक अनिवार्य।(ग्रुप–I हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे)	खण्ड–एक–फिजिक्स, केमेस्ट्री – 50% खण्ड–दो–गणित – 50%
J	पोस्ट डिप्लोमा इन इनफारमेशन टेक्नॉलोजी	156, 256	एक वर्षीय	प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, से सम्बद्ध संस्था से इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा।	अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सन – 20% न्यूमेरिकल एबेलिटी – 15% रीजनिंग – 30% जनरल इन्टेलीजेन्सी –20% जनरल अवेरनेस – 15%
K	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश (लेटरल इन्ट्री)	सारिणी–3 के अनुसार	दो वर्षीय	इण्टरमीडिएट विज्ञान अथवा इण्टरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक / प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण	**खण्ड–एक** : हाईस्कूल स्तर की गणित, भौतिकी एव रसायन – 40% **खण्ड–दो** : इंजीनियरिंग – 60% (सिविल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक्स / मैकेनिकल / आई.टी. / प्रिटिंग टेक्नोलॉजी / फैशन डिजाइन एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी में प्रत्येक से सम्बन्धित 60 प्रश्नों के सात अलग अलग उपखण्डों में से आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से सम्बन्धित उपखण्ड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखण्ड को हल करेंगे। (देखें सारिणी–3))

आयु :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

स्वास्थ्य :

प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमावार मानकों को पूर्ण करना होगा।

शारीरिक स्वस्थता जाँच :

(1) प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होना चाहिए।

(3) ग्रुप–I में अध्ययन हेतु अभ्यर्थी को वर्णान्धता (colour blindness) एवं किसी भी शारीरिक अक्षमता से मुक्त होना आवश्यक है।

विकलाँग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सुविधाएं :

विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान ''डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर'' में स्थापित है। इस संस्थान में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रू0 250.00 प्रतिमाह की भोज्य वृति तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफार्म भी प्रदान की जाती है। डा0 अम्बेडकर इन्स्टी0 फार फिजीकली हैण्डीकैप्ड, कानपुर में माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित तथा शेष सभी पाठ्यक्रमों में अस्थि अथवा श्रवण विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 3% क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाण–पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% विकलांग है एवं ''विकलांगता'' की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्था में छात्रों के प्रवेश के पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन संस्था स्तर पर नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।

शिक्षण शुल्क :

<u>राजकीय संस्थायें :</u>

राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क रू0 8,000/–, छात्र निधि शुल्क रू0 3,870/–, छात्रावास शुल्क रू0 800/– कुल रू0 12,670/– निर्धारित है। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है उनसे छात्र निधि शुल्क रू0 3,870/– के स्थान पर केवल रू0 2,370/– एवं छात्रावास शुल्क रू0 800/– छोड़ते हुए कुल रू0 10,370/– लिये जायेंगे।

<u>अनुदानित संस्थायें :</u>

अनुदानित संस्थाओं में शुल्क रू0 17,500/– प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। निर्धारित शुल्क रू0 17,500/– में शिक्षण शुल्क रू0 14,430/– तथा छात्र निधि शुल्क रू0 3,070/– देय है। डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रमों के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में देय शुल्क रूपये 21000/– निर्धारित है।

<u>निजी क्षेत्र की संस्थायें :</u>

निजी क्षेत्र की संस्थाओं में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों/फार्मेसी तथा होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम में शुल्क रू0 28,000/– प्रतिवर्ष तथा दो एवं एक वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रमों में शुल्क रू0 20,000/– निर्धारित किया गया है, निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है।

काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने तक सीटों की संख्या तथा आरक्षण शासनादेश के अधीन परिवर्तनीय है।

1. प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं (विशिष्ट संस्थाओं को छोड़कर) में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन निम्नवत् सूचनीय है:–

क्र0सं0	**जिनके लिए आरक्षित हैं**	**आरक्षित स्थान**
(1)	अनुसूचित जाति (S.C.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत।
(2)	अनुसूचित जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत।
(3)	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेग एवं क्षैतिज आरक्षणों में मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा।

(1)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (F.F.) के आश्रितों के लिए।	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत।
(2)	उ0प्र0 के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ0प्र0 में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को। (M.P.)	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत।
(3)	शारीरिक रूप से विकलांग (P.H.) अभ्यर्थियों के लिए।	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत।

(4) महिला अभ्यर्थियों के लिए। — प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत।

नोट :

1. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग होने का प्रमाण पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कांउसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझी जायेगी। आवेदन–पत्र में अभिलिखित श्रेणी एवं उप श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
2. यदि प्रवेश हेतु सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में घोषित अन्तिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो शासन द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. **विमुक्त जातियों को प्रवेश हेतु आरक्षण मान्य नहीं है तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं है।**

9. सामान्य निर्देश :

(1) उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं निगेटिव मार्किंगः–

(1) सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओ0एम0आर0 शीट पर एच.बी. पेन्सिल द्वारा गोले काले कर देने होंगे।

(2) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे। उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर केवल एक ही होगा।

(3) एक से अधिक गोलों को भरने पर उत्तर गलत माना जायेगा।

(4) प्रत्येक गलत उत्तर पर एक निगेटिव अंक दिया जायेगा।

(5) किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने पर निगेटिव अंक नहीं दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि जिस उत्तर के बारे में वे सुनिश्चित न हों उसका हल न भरें।

(2) योग्यताक्रम सूची :

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2015 के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम सूची तैयार की जायेगी।

(3) काउन्सिलिंग :

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन सीटों की उपलब्धता, अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प एवं योग्यताक्रम व काउन्सिलिंग के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त परिषद द्वारा काउन्सिलिंग के विस्तृत नियम, तिथि, समय, स्थान, प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश परिषद की वेबसाइट पर दिये जायेंगे।

(4) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र :

आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने हेतु प्रमाण–पत्र संख्या–01 से 07 पर दर्शाये गये प्रमाण–पत्रों के उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम् प्रारूप पर काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

(5) प्रवेश–पत्र :

अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र दिनांक 10.04.2015 से 03.05.2015 तक परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा में बैठेगा। **प्रवेश–पत्र को संस्था में प्रवेश लिये जाने तक सुरक्षित रखें एवं प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।**

कृपया प्रवेश–पत्र पर दिये गये निर्देशों का भी भली–भाँति अध्ययन कर लें।

(6) प्रवेश परीक्षा केन्द्र :

समस्त पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा केन्द्र सामान्यतया जिला– मुख्यालयों/शहरों में होंगे। परीक्षार्थी उन तीन जनपदों के नाम एवं कोड वरीयताक्रम में चुनें जहाँ से वे परीक्षा देना चाहते हैं। परिषद को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने हेतु प्रदेश के जनपदों में कोई भी जनपद/परीक्षा केन्द्र आवंटित कर सकता है। परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप कोड–A तथा अन्य ग्रुपों (B,C,D,E,F,G,H,I,J तथा K) के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तो वह प्रातः एवं सायं पाली हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र भरेगा। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र हेतु दोनों पालियों में समान परीक्षा जनपदों का चयन करें, ताकि उन्हें उन पाठ्यक्रम ग्रुपों की परीक्षाओं प्रातः पाली एवं सायं पाली में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके।

(7) प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल :

संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल घाषित होने की सूचना समाचार–पत्र/पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। परीक्षाफल इन्टरनेट पर परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

10. प्रश्न–पत्र तथा उत्तर चार्ट के सम्बन्ध में निर्देश :

परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंच जाना चाहिये तथा परीक्षा केन्द्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में पहुंचना चाहिये। इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिये, जिससे कि वह परीक्षा कक्ष में परीक्षा आरम्भ होने से 20 मिनट पूर्व पहुंच सकें।

(1) आपको परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक द्वारा सर्वप्रथम एक विशेष प्रकार का उत्तर चार्ट (OMR) दिया जायेगा। आप इस विशेष उत्तर–चार्ट पर प्रविष्टियॉ पूर्ण करने से पूर्व भली–भाँति चेक कर लें कि कहीं यह गंदा, कटा–फटा, मुड़ा, सिलवट पड़ा या गोल मोड़ा गया तो नहीं है और इस पर किसी प्रकार के दाग, धब्बे तो नहीं हैं क्योंकि ऐसे उत्तर चार्ट को कम्प्यूटर द्वारा सही–सही नहीं पढ़ा जा सकेगा, जिससे आपको हानि हो सकती है। अतः ऐसे उत्तर चार्ट को तुरन्त परिनिरीक्षक से कह कर बदल लें। परीक्षा आरम्भ होने के 5 मिनट पूर्व आपको एक प्रश्न–पुस्तिका दी जायेगी, जिसमें दिये गये प्रश्नों के उत्तर, उत्तर चार्ट में भरने होगे।

(2) उत्तर चार्ट पर वाँछित सभी सूचनाएं जैसे अनुक्रमांक (अंकों एवं शब्दों में) अभ्यर्थी तथा परिनिरीक्षक के हस्ताक्षर आदि को केवल बाल पेन से ही भरना है। जैसे ही उत्तर–चार्ट आपको प्राप्त होता है, उत्तर चार्ट की सारी प्रविष्टियों को बाल पेन से भर लें एवं जो न लागू होता हो, उसे काट दें। उत्तर चार्ट पर अनुक्रमांक, केन्द्र संख्या तथा प्रश्न पुस्तिका संख्या हेतु बने निर्धारित स्थानों पर बाल पेन से प्रविष्टि करें तथा HB पेन्सिल से सम्बन्धित अंक के खानों को काला करें।

(3) आपका अनुक्रमांक (ROLL NUMBER) सात अंकों का होगा (अनुक्रमांक की डिजिट में परिवर्तन हो सकता है)। मुख्य परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले ओ0एम0आर0 उत्तर चार्ट में अनुक्रमांक लिखने के लिए एक कतार में सात खाने दिये गये हैं। प्रत्येक खाने के नीचे गोले बने हैं। जिनमें 0 से 9 तक अंक लिखे हैं।

<u>**नोट**</u> :– फार्मेसी पाठ्यक्रम ग्रुप–E के लिए प्रयुक्त होने वाले उत्तर चार्ट में खण्ड–2 में बायलोजी तथा गणित विषयों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए दो खाने बने हुए हैं। यदि अभ्यर्थी बायलोजी विषय के प्रश्नों को हल करना चाहता है, तो बायलोजी के लिए बने गोले को HB पेन्सिल से काला करें। इसी प्रकार यदि गणित के प्रश्नों को हल करना चाहता है तो गणित के लिए बने गोले को काला करें। पाठ्यक्रम ग्रुप–E में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टि को ध्यान से अवश्य पूर्ण करें अन्यथा उनका मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रुप–K के अभ्यर्थी अपने उपवर्ग (यथा K1, K2, ... K7) में से स्वयं द्वारा हल किये जाने वाले उप खण्ड से सम्बन्धित गोले को काला करेंगे, अन्यथा की स्थिति में ओ0एम0आर0 शीट की जांच सम्भव नहीं होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(4) प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार वैकल्पिक उत्तर दिये होंगे, इनमें से जिस उत्तर को आप सही समझते हों, उसका उत्तर (विकल्प) संख्या चुनकर, उत्तर चार्ट में दिये गये प्रश्न की क्रम संख्या के नीचे दिये गये सही उत्तर (विकल्प संख्या) वाले गोले को पूरा पूरा HB पेन्सिल से काला कर दें, अन्त में इस प्रकार के सभी नम्बरों का क्षैतिज योग दिये गये ब्लाकों के आगे खाने में निर्धारित स्थान पर शब्दों तथा अंकों में लिख दें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो प्रश्न संख्या के नीचे बने सादे खाने को क्रास कर दें। ऐसा करने से आपका हित सुरक्षित रहेगा। अतः इस कार्य को बिल्कुल न भूलें।

(5) परीक्षा प्रारम्भ होने का संकेत मिलते ही आप प्रश्न–पुस्तिका को खोलकर भली–भाँति जाँच कर लें कि उसमें पूरे सौ (100) प्रश्न क्रमानुसार छपे हैं तथा कहीं प्रिन्ट (PRINT) छूटा तो नहीं है अथवा कटी–फटी या अपूर्ण तो नहीं है। यह भी जाँच कर लें कि प्रश्न–पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर प्रश्न–पुस्तिका संख्या स्पष्ट एवं पठनीय है। ऐसा न होने पर तुरन्त प्रश्न–पुस्तिका बदल लें, तत्पश्चात् आप प्रश्नों को हल करना प्रारम्भ करें। सभी रफ कार्य (ROUGH WORK) प्रश्न–पुस्तिका पर ही करें। उत्तर चार्ट (OMR) पर रफ कार्य कदापि न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपका उत्तर चार्ट कम्प्यूटर द्वारा सही नहीं जाँचा जायेगा।

(6) उत्तर चार्ट में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न की क्रम संख्या के नीचे गोले बने हैं, जिन पर 1, 2, 3, व 4 अंक अंकित हैं। प्रश्न–पत्र में प्रत्येक प्रश्न के नीचे वैकल्पिक उत्तर 1, 2, 3, व 4 अंकों द्वारा दर्शाये गये हैं। आपको इनमें से उस प्रश्न का सही उत्तर (विकल्प संख्या) चुनना है। अब आपको उत्तर चार्ट में प्रश्न की क्रम संख्या के नीचे दिये गये सही उत्तर (विकल्प संख्या) वाले गोले को पूरा HB पेन्सिल से काला भरना है।